

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 137/2022

अनवान:-

1. ओमप्रकाश पुत्र द्वारका प्रसाद जाति सोनी निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. राकेश सोनी पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. अनार कंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. इन्दु पुत्री मनीराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. ईन्द्रकंवर पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. कुमुद पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. गुलाबकंवर पुत्री विशाल जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. छगनसिंह पुत्र रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. नानू कंवर पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. नारायण सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. प्रतापसिंह पुत्र रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. भादरसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. मंगेजकंवर पत्नी विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. रूकमणी पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. राजोकंवर पुत्री विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. शंकर सिंह पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
17. सुरजनसिंह पुत्र रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर (फौत)।

18/1. लिछमा पत्नी स्व0 सुरजनसिंह

18/2. श्रवणसिंह पुत्र स्व0 सुरजनसिंह

18/3. कलावती पुत्री स्व0 सुरजनसिंह

18/4. सावरसिंह पुत्र स्व0 सुरजनसिंह

18/5. रतनसिंह पुत्र स्व0 सुरजनसिंह

18/6. सन्तोष पुत्री स्व0 सुरजनसिंह

जाति राजपूत निवासी बिरकाली
तहसील नोहर।

18. सुलतान सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
19. सायरकंवर पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- 1. श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता वादी
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 13/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स0 528/454 की कुल 17.1920 हैक्ट भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है।

वादीगण ने वाद भूमि दिनांक 08.02.2021 को तारामणी पत्नी राजेन्द्र कुमार से जरिये बैयनामा 3.9320 हैक्ट बारानी भूमि खरीद की थी तब वादीगण को तारामणी ने एक सहमति पत्र में रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के प0न0 136/50 के मु0न0 171 के किला न0 9/2 व 19/2 व 22 की भूमि व प0न0 136/54 मु0न0 36 के किला न0 22 ता 24 व प0.न0 136/55 मु0न0 365 के किला न0 1/2, 2 ता 4 व 6/2 व 7 ता 9 तथा 12 ता 14 की कुल 3.9319 हैक्ट भूमि का कब्जा दिया था। इसी अनुसार वाद भूमि वादीगण के कब्जा कास्त में चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है तथा उक्त भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादीगण व प्रतिवादीगण में खाता व लगान, सीव आदि का हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहते हैं।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग अलग करवा लेवे तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 16, 18/1 ता 18/6, 19, 20 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न तो स्वयं उपस्थित न ही उनकी और से कोई प्लीडर उपस्थित अतः प्रतिवादी स0 1 ता 16, 18/1 ता 18/6, 19, 20 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी स0 17 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स0 528/454 की कुल 17.1920 हैक्ट भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स0 528/454 की कुल 17.1920 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 ओमप्रकाश सोनी पुत्र द्वारका प्रसाद, राकेश सोनी पुत्र ओमप्रकाश बहिब जाति सोनी सा0 नोहर खातेदार
प0न0 136/50 (171) कि0न0 9/2 की 0.013, 12/2 की 0.089, 19/2 की 0.215 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट प0न0 136/54(306) के किला न0 22 ता 24 की 0.759 हैक्ट, 136/55 (365) के किला न0 1/2 की 0.114, 2 ता 4 की 0.759, 6/2 की 0.215, 7 ता 9 -12 ता 14 की 1.518 हैक्ट, कुल कित्ता 18 कुल रकबा 3.935 हैक्ट बारानी
- 2 नरेश कुमार पुत्र मनीराम 2658/3036 हि0 त्रिभुवन विवेक शर्मा विशाल शर्मा पि0 इन्दु पुत्री मनीराम 380/3036 हि0 बहिब जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार
136/35 (204) के किला न0 6 ता 8 की 0.759 हैक्ट, 12 ता 15 की 1.012 हैक्ट, 136/43(205) 2 की 0.253 हैक्ट, 9 ता 12 की 1.012 हैक्ट, कुल कित्ता 12 रकबा 3.036 हैक्ट बारानी
- 3 शंकरसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपुत निवासी सा0 देह खातेदार 136/42(172) के किला न0 5 की 0.253, 136/50(171) के किला न0 1 की 0.253, 2/2 की 0.114 हैक्ट, 10/2 की 0.240 हैक्ट, 11/2/1 की 0.039 हैक्ट कुल कित्ता 5 रकबा 0.899 हैक्ट बारानी
- 4 अनारकंवर पुत्री हनुमान सिंह 289/9322 हि0, मंगेज कंवर पत्नी हनुमानसिंह 289/9322 हि0, राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानसिंह 289/9322 हि0, इन्द्रा पुत्री भादरसिंह 38/9322, पुष्पा पुत्री भादरसिंह 38/9322 हि0, विमला पुत्री भादरसिंह 38/9322 हि0, प्रवीणी पत्नी


अधिकारी
नोहर

भादरसिंह 38/9322 हि०, भंवरसिंह पुत्र भादरसिंह 38/9322 हि०, रघुवीरसिंह पुत्र भादरसिंह 38/9322 हि०, ईन्द्र कंवर पुत्री रामु 861/9322 हि०, कुमुद पुत्री रामु 861/9322 हि०, नानुकंवर पुत्री रामु 861/9322 हि०, रूकमणी पुत्री रामु 861/9322 हि०, सायरकंवर पुत्री रामु 861/9322 हि०, छगनसिंह पुत्र रामु 861/9322 हि०, प्रतापसिंह पुत्र रामु 861/9322 हि०, सुरजन सिंह पुत्र रामु 861/9322 हि०, जीनाकंवर पत्नी रामू 861/9322 हि०, गुलाबकंवर पुत्री विशालसिंह 3/9322 हि०, राजोकंवर पुत्री विशालसिंह 3/9322 हि० जाति राजपुत, अभयसिंह पुत्र लिखमाराम 472/9322 हि० जाति जाट सा० देह खातेदार

प०न० 136/50 (171) के किला न० 11/2/2 की 0.100, 20/1 की 0.013, 136/35(204) के किला न० 16 ता 19 की 1.012 हैक्ट, 22/1 की 0.228 हैक्ट, 23/1 की 0.228 हैक्ट, 24/1 की 0.228 हैक्ट, 25/1 की 0.227 हैक्ट, 136/43(205) के किला न० 13 की 0.253, 18 ता 23 की 1.518 हैक्ट, 136/44 (235) के किला न० 1 ता 4 की 1.012, 8 ता 10 की 0.759 हैक्ट, 136/36(236) 1/2 की 0.227 हैक्ट, 2 ता 9 की 2.024 हैक्ट, 10/2 की 0.228 हैक्ट, 12 ता 15 की 1.012 हैक्ट, 18 की 0.253 हैक्ट कुल किता 39 कुल रकबा 9.322 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 137/2022

अनवान:-

1. ओमप्रकाश पुत्र द्वारका प्रसाद जाति सोनी निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
 2. राकेश सोनी पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम

1. अनार कंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 2. इन्दु पुत्री मनीराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 3. ईन्द्रकंवर पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 4. कुमुद पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 5. गुलाबकंवर पुत्री विशाल जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 6. छगनसिंह पुत्र रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 7. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 8. नानू कंवर पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 9. नारायण सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 10. प्रतापसिंह पुत्र रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 11. भादरसिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 12. मंगेजकंवर पत्नी विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 13. रूकमणी पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 14. राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 15. राजोकंवर पुत्री विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 16. शंकर सिंह पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 17. सुरजनसिंह पुत्र रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर (फौत)।
18/1. लिछमा पत्नी स्व0 सुरजनसिंह
18/2. श्रवणसिंह पुत्र स्व0 सुरजनसिंह
18/3. कलावती पुत्री स्व0 सुरजनसिंह
18/4. सावरसिंह पुत्र स्व0 सुरजनसिंह
18/5. रतनसिंह पुत्र स्व0 सुरजनसिंह
18/6. सन्तोष पुत्री स्व0 सुरजनसिंह
- जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
18. सुलतान सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 19. सायरकंवर पुत्री रामू जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
 20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 137 सन 2022 निर्णय दिनांक 13/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स0 528/454 की कुल 17.1920 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 ओमप्रकाश सोनी पुत्र द्वारका प्रसाद, राकेश सोनी पुत्र ओमप्रकाश बहिब जाति सोनी सा0 नोहर खातेदार


प0न0 136/50 (171) कि0न0 9/2 की 0.013, 12/2 की 0.089, 19/2 की 0.215 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट प0न0 136/54(306) के किला न0 22 ता 24 की 0.759

al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- हैक्ट, 136/55 (365) के किला न0 1/2 की 0.114, 2 ता 4 की 0.759, 6/2 की 0.215, 7 ता 9 -12 ता 14 की 1.518 हैक्ट, कुल किता 18 कुल रकबा 3.935 हैक्ट बारानी
- 2 नरेश कुमार पुत्र मनीराम 2658/3036 हि0 त्रिभुवन विवेक शर्मा विशाल शर्मा पि0 इन्दु पुत्री मनीराम 380/3036 हि0 बहिब जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार
136/35 (204) के किला न0 6 ता 8 की 0.759 हैक्ट, 12 ता 15 की 1.012 हैक्ट, 136/43(205) 2 की 0.253 हैक्ट, 9 ता 12 की 1.012 हैक्ट, कुल किता 12 रकबा 3.036 हैक्ट बारानी
- 3 शंकरसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपुत निवासी सा0 देह खातेदार 136/42(172) के किला न0 5 की 0.253, 136/50(171) के किला न0 1 की 0.253, 2/2 की 0.114 हैक्ट, 10/2 की 0.240 हैक्ट, 11/2/1 की 0.039 हैक्ट कुल किता 5 रकबा 0.899 हैक्ट बारानी
- 4 अनारकंवर पुत्री हनुमान सिंह 289/9322 हि0, मंगेज कंवर पत्नी हनुमानसिंह 289/9322 हि0, राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानसिंह 289/9322 हि0, इन्द्रा पुत्री भादरसिंह 38/9322, पुष्पा पुत्री भादरसिंह 38/9322 हि0, विमला पुत्री भादरसिंह 38/9322 हि0, प्रवीणी पत्नी भादरसिंह 38/9322 हि0, भंवरसिंह पुत्र भादरसिंह 38/9322 हि0, रघुवीरसिंह पुत्र भादरसिंह 38/9322 हि0, ईन्द्र कंवर पुत्री रामु 861/9322 हि0, कुमुद पुत्री रामु 861/9322 हि0, नानुकंवर पुत्री रामु 861/9322 हि0, रूकमणी पुत्री रामु 861/9322 हि0, सायरकंवर पुत्री रामु 861/9322 हि0, छगनसिंह पुत्र रामु 861/9322 हि0, प्रतापसिंह पुत्र रामु 861/9322 हि0, सुरजन सिंह पुत्र रामु 861/9322 हि0, जीनाकंवर पत्नी रामू 861/9322 हि0, गुलाबकंवर पुत्री विशालसिंह 3/9322 हि0, राजोकंवर पुत्री विशालसिंह 3/9322 हि0 जाति राजपुत, अभयसिंह पुत्र लिखमाराम 472/9322 हि0 जाति जाट सा0 देह खातेदार
प0न0 136/50 (171) के किला न0 11/2/2 की 0.100, 20/1 की 0.013, 136/35(204) के किला न0 16 ता 19 की 1.012 हैक्ट, 22/1 की 0.228 हैक्ट, 23/1 की 0.228 हैक्ट, 24/1 की 0.228 हैक्ट, 25/1 की 0.227 हैक्ट, 136/43(205) के किला न0 13 की 0.253, 18 ता 23 की 1.518 हैक्ट, 136/44 (235) के किला न0 1 ता 4 की 1.012, 8 ता 10 की 0.759 हैक्ट, 136/36(236) 1/2 की 0.227 हैक्ट, 2 ता 9 की 2.024 हैक्ट, 10/2 की 0.228 हैक्ट, 12 ता 15 की 1.012 हैक्ट, 18 की 0.253 हैक्ट कुल किता 39 कुल रकबा 9.322 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर